न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 125/2018
जी.सी.एम.एस. :: 2018/00158

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रानी		1. मांगीलाल पुत्र वगताराम 2. चतराराम पुत्र वगताराम 3. छोगाराम पुत्र वगताराम 4. कुकी पत्नी वगताराम नारायणलाल के का.मु. 5. गेरी पत्नी नारायणलाल 6. गायत्री (नाबालिग) पुत्री नारायणलाल 7. हर्षित पुत्र नारायणलाल नाबालिग वली माता गेरी 8. वालाराम पुत्र खीमाराम जातिगण सिरवी निवासीगण खौड तहसील रानी जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 29.8.2024

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रानी द्वारा द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम खौड तहसील रानी के खसरा नम्बर 914 रकबा 7.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन नदी जिसके वर्तमान में किस्म बा.दो. का किस्म परिवर्तन कर नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम खौड, पटवार हल्का खौड तहसील रानी जिला पाली के खसरा नम्बर 914 किस्म गै.मु. नदी में से खसरा नम्बर 914/1 रकबा 7.00 बीघा किस्म बा.दो. किस्म परिवर्तन कर पोमाराम पुत्र खीमाराम जाति चौधरी के नाम आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 17.05.1971 के द्वारा आवंटित की गई, जो वक्त आवंटन गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जिसकी पालना में अप्रार्थी पोमाराम पुत्र

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

खीमाराम को जरिये नामान्तरकरण संख्या 436 के राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं पोमाराम लाऔलाद फौत हो जाने से पोमाराम के भाई वक्ता के विधिक उत्तराधिकारी मांगीलाल, चतराराम, छोगाराम, नारायणलाल पुत्रगण वक्ता एवं कुकी पत्नी वक्ता के नाम नामान्तरकरण संख्या 1542 के द्वारा अप्रार्थीगण को गैर खातेदार दर्ज किया गया। उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 436 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 1542 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

अप्रार्थी मांगीलाल पुत्र मानाराम ने अपने लिखित जवाब में कथन किया कि जैर प्रार्थना पत्र तहसीलदार रानी द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध पेश किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन साईक्लोस्टाईल पैरा अनुसार टाईप किया हुआ एंव कॉलमों में पेन से खानापुर्ति कर पेश किया हुआ है, जैर आराजी पर अप्रार्थी का वक्त आवंटन से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। तहसीलदार रानी से यह रेफरेन्स पेश करने से पुर्व आराजी का भौतिक सत्यापन किये बगैर रेफरेन्स न्यायालय में पेश कर दिया, जैर आराजी भुमि नदी के बहाव क्षैत्र में नही आती है। अप्रार्थी काश्तकार एवं पशुपालक है तथा उक्त आराजी अप्रार्थी के परिवार की आय का एक मात्र जरिया है जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता है। तहसीलदार रानी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी अप्रार्थी के पुर्वजो को नियमानुसार आवंटित हुई है तथा उनका उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है। उक्त आराजी नदी के किनारे अवस्थित है, इससे नदी के बहाव क्षेत्र में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जावे।

हमने सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। ग्राम खौड, पटवार हल्का खौड तहसील रानी की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार खसरा नम्बर 914/1 रकबा 7.00 बीघा किस्म बारानी दोयम पर अप्रार्थीगण बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम खौड के खसरा बन्दोबस्त सम्वत 2019 के अनुसार खसरा नम्बर 914/1 का गत खसरा नम्बर 914 है तथा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2019 के अनुसार खसरा नम्बर 914 की किस्म गै.मु.नदी दर्ज है। आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 17.05.1971 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 436 के द्वारा खसरा संख्या 914/1 में पोमाराम पुत्र खीमा चौधरी को बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया। पोमाराम लाऔलाद फौत हो जाने पर जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1542 के द्वारा पोमाराम के भाई वक्ता के विधिक उत्तराधिकारी मांगीलाल, चतराराम, छोगाराम, नारायणलाल पुत्रगण वक्ता एवं कुकी पत्नी वक्ता को जैर आराजी में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया। वक्त

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जो प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थीगण के पुर्वज के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध प्रतीत होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है।

ग्राम खौड की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2019 के अनुसार खसरा नम्बर 914 की किस्म गै.मु.नदी दर्ज है तथा नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमिया है। रेफरेन्स मेन्टेनेबल है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पुर्व की स्थिति बहाल किया जाना है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि पोमाराम पुत्र खीमाराम के पक्ष में आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 17.05.1971 के द्वारा किया गया आवंटन एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 436 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 1542 को निरस्त फरमाया जाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी पुनः गैर मुमकीन नदी दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर,पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)